



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार



द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना-23, बिहार। ✉-scps-bih@gov.in; ☎-0612 2545033

संचिका सं०-02/रा०बा०सं०स०(स्था०)08/2025(अंश-2)- 1037

पटना, दिनांक- 14.08.2026

कार्यालय आदेश

राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों पर कर्मियों का चयन कर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों में पदस्थापित किया गया था। कुछ कर्मियों द्वारा योगदान करने के उपरांत अपने पदस्थापन कार्यालय से अनुपस्थित हैं तथा कुछ कर्मियों द्वारा अपना योगदान संबंधित कार्यालय में नहीं दिया गया, जिसकी सूची निम्नवत है:-

क्र०	नाम एवं पदनाम	पदस्थापन जिला/इकाई	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1.	श्री विष्णु कुमार हरिजन, आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई, सुपौल	योगदान के उपरांत लगातार अनुपस्थित	
2.	श्री मिल्टन कुमार नंदी, परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर	पर्यवेक्षण गृह, रोहतास	योगदान नहीं दिया गया।	
3.	श्रीमती रूपाली कुमारी, परामर्शी	जिला बाल संरक्षण इकाई, बाँका	योगदान नहीं दिया गया।	
4.	श्रीमती ईशा साहिन, आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई, शेखपुरा	योगदान नहीं दिया गया।	
5.	श्री विनय कुमार सिंह, आंकड़ा विश्लेषक	जिला बाल संरक्षण इकाई, गया	योगदान नहीं दिया गया।	
6.	श्रीमती कंचन झा, परामर्शी	जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर	योगदान नहीं दिया गया।	
7.	श्री संजय कुमार, आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई, नवादा	योगदान नहीं दिया गया।	
8.	श्री संदीप कुमार, परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर	पर्यवेक्षण गृह, बेतिया	योगदान नहीं दिया गया।	
9.	श्री मन्नु कुमार, आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया	योगदान नहीं दिया गया।	

उपरोक्त अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर पदस्थापित कार्यालय में योगदान समर्पित करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्धारित तिथि तक योगदान समर्पित नहीं करने पर यह मान लिया जाएगा कि वह संबंधित पद पर योगदान देने हेतु इच्छुक नहीं है। तदालोक में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उस पद को रिक्त मानकर अन्य अभ्यर्थियों को योगदान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(चन्द्रिमा अत्री)

निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांक-

1037

पटना, दिनांक-

14.08.2024

प्रतिलिपि-

1. आई० टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. कार्यक्रम प्रबंधक, IEC & Advocacy, राज्य बाल संरक्षण समिति को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि संबंधित सूचना राज्यस्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

निदेशक, समाज कल्याण-सह-

उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।